

(106)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (34)आकाशी/नि.सं./2018/ 138


दिनांक:- 21/6/2018
आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्त्वांधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शिक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-2021 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है—

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्धक विश्वविद्यालय	पात्रता
विवेकानन्द शिक्षा सभिति, नियर साई मंदिर, झाड़ोद रोड, मौलासर, नागौर।	विवेकानन्द महाविद्यालय, नियर साई मंदिर, झाड़ोद रोड, मौलासर, नागौर।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय— अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, लोकप्रशासन, राजनीति विज्ञान। विज्ञान संकाय — भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, गणित।

- संस्था अवधारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किसी भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन की निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जगा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीकण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा याहा मया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीएसीआई से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबंधित पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाणी प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवेदित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सचिव, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ठिकाना कलेजर, नागौर।
- कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रवाली।

अवधि
संयुक्त-निदेशक (नि०स०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर